

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम दिल्ली

हरिजोम बनाम सुहृद बिहारी

किस्म मुकदमा 212 91050 नं. 104 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 15/3/18 | <p style="text-align: center;"><u>सुहृद बिहारी</u></p> <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>शर्मा हरिजोम की कोर से यह वाड श्री माधारास स्वामी एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेशाकिर्ता रिपोर्ट सरीर-राडेची कई वाड जर्जगपडडर्न व फिर-एट किया जावे शर्मा गंगत्री व लवी हेडसामन जारी हो परावली वाक्रेवली डी. 17-4-18 को पेश हो</p> | |
| 10/10 | <p>परावली पेश हुई वकील शर्मा उपस्थित प्रावर्निय पर हुल कर के हुल नं. 25/5/18 को पेश हो</p> | |
| 25/1/18 | <p>परावली का चयन लोक अदालत के रूप दिनांक 20/5/18 को अमरपुरा में निष्पन्न हो के किया जात है</p> | |
| 30/1/18 | <p>परावली लोक अदालत के रूप अमरपुरा में पेश हुई, प्रां. नं. 1 उपस्थित, प्रां. नं. ने जाहिर किया कि पारिवारिक न्याय में शर्मा नं. 1 ही मां एवं मेरे मध्य ललाक से पुत्र है तथा पूर्व प्रां. से शर्मा एड ही पुत्र है, तथा दूसरी पत्नी से</p> | <p style="text-align: right;"><u>मुकदमा नं. 1</u></p> |

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2018/550

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जारी

लीन पुत्र है इसलिए जब लड़कियों में लीन
है वह लड़कियों को भी मेरे विषय
में भारती में सहायता दर्ज नहीं
किया जावे। इसलिए प्रार्थना के स्वत्व
का निर्धारण मूलवाद में लड़कियों
जायेगा। लीन का प्रारंभिक खर्च
किया जाता है। अदेश से इजलास
मजमे काम में सुनाया गया।

पतावली फंडल सुकर रोकर मूलवाद
के साथ संलग्न रहे।

